न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या :- 28/2022

प्रार्थीगणः-

1. अर्जुनराम पुत्र गणेश जाति राईका निवासी ग्राम रावर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. गुमानराम पुत्र लुम्बाराम
2. रामकिशोर पुत्र रतनाराम जातियान राईका निवासीगण ग्राम रावर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थित :- प्रार्थी - श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा, अधिवक्ता।
अप्रार्थी सं.- 1 से 2 - श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता।
अप्रार्थी सं. 3 - सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :-** 07/11/22

संक्षेप में सक्षेप मे मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में भूमि खसरा नम्बर 402/3 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, किस्म बारानी प्रथम आई हुई है। उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी, कब्जाकाश्त, खरीदसुदा की भूमि है। उक्त भूमि को प्रार्थी ने पूर्व खातेदार श्री शिवलाल पुत्र श्री पेमाराम जाति ब्राहम्ण से दिनांक 25.08.1993 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के खरीद की थी। प्रार्थी की खरीदसुदा, खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 402/3 के पूर्व दिशा के चिपते अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की सयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 402/1 रकबा 0.3236 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की सयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 402/1 की दक्षिणी माठ के चिपते प्रार्थी के खेत में कृषि कार्य हेतु आने-जाने हेतु मार्क ए.बी.सी.डी.रास्ता आया हुआ है। जो रास्ता आगे खसरा नम्बर 562 जो ग्राम पंचायत रावर की भूमि पर जाकर निकलता है। जिसको प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 402/3 में आने-जाने हेतु वक्त खरीद से निरन्तर उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है। दिनांक 15.10.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में आने-जाने वाले रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी. को खुर्द बुर्द कर रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी. को बंद कर देने की प्रार्थी को धमकी दी है। जिससे प्रार्थी के खेत में आने-जाने का एकमात्र रास्ता बंद हो जायेगा। जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से 2 को ओलबा दिया तो अप्रार्थी संख्या 1 से 2 ने प्रार्थी को धमकिया देते हुए कहा कि हमारी खातेदारी की भूमि में से तुम्हे नहीं निकलने देंगे। इस प्रकार प्रार्थी के खेत में काश्त कार्य करने में अड़चने पैदा करने की कोशिश करने पर प्रार्थी ने गांव वालों को यह घटना बताई जिस पर गांव वालों ने अप्रार्थी संख्या 1 से 2 को समझाया कि रास्ता पर किसी प्रकार का विवाद पैदा नही करे तथा प्रार्थी को उसके खेत में आने-जाने हेतु रास्ता देंवे मगर अप्रार्थी संख्या 1 से 2 ने रास्ता देने से इन्कार कर दिया। प्रार्थी के खेत में आने का अन्य कोई मौके पर रास्ता नही है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 562 में से पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि खसरा नम्बर 402/1 आयी हुई है, जिसमें से दक्षिणी माठ के सहारे

सहारे मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ता प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 402/3 तक आता है, लेकिन उक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता इन्द्राज नही किया गया है न ही नक्शा ट्रेस में उक्त रास्ता लाल स्याही से तरमीम है। भूमि खसरा नम्बर 562 के पश्चिम दिशा की तरफ माठ के चिपता मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ता से होकर प्रार्थी आता जाता है व प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 402/3 तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है, जिसमें किसी भी प्रकार की दखल व अवरोध करने का अप्रार्थी संख्या 1 से 2 को कोई अधिकार नहीं है। फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 से 2 ने बिना कारण के प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने वाले रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी. को खुर्द बुर्द कर उक्त रास्ते को बंद करने की धमकी दी है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 2 को खसरा नम्बर 402/1 के दक्षिण दिशा की तरफ माठ के चिपता मार्क ए.बी.सी. डी. 18 फुट चौड़ा कायम किये गये रास्ते को बंद कर नाजायज तौर से बाधा उत्पन्न करने से नहीं रोका गया तो प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 402/3 में काश्त कार्य करने से हमेशा हमेशा के लिये वंचित हो जायेंगा। जिससे प्रार्थी का जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो जायेगा व प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं होगा। प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 से 2 के खसरा नम्बर 402/1 में दक्षिण दिशा में माठ के चिपता मार्क ए.बी.सी.डी. का 18 फुट चौड़ा रास्ता की अत्यधिक आवश्यकता का मार्ग है। प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। इस कारण प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 से 2 के विरूद्ध खसरा नम्बर 402/1 के दक्षिण की तरफ माठ के चिपता मार्क ए.बी.सी.डी. स्थित 18 फुट चौड़े रास्ते को राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करने हेतु व नक्शा ट्रेस में रास्ते को तरमीम करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 से 2 की भूमि खसरा नम्बर 402/1 रकबा 0.3236 हैक्टेयर में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी. की 18 फुट रास्ते की नियमानुसार डी.एल.सी. दर की दुगुनी मुआवजा फीस देने को तैयार है।

अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 402/2 रकबा 0.1618 हैक्टेयर में प्रार्थी को काश्त कार्य करने के लिए आने-जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 2 की भूमि खसरा नम्बर 402/1 रकबा 0.3236 हैक्टेयर में स्थित रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी. भाग से होकर निकलता है, जो खसरा नम्बर 562 में पहुंचता है, जिसको प्रार्थी हर प्रकार से खेत की बुवाई व अन्य काश्त कार्य के रूप में उपयोग व उपभोग में लेता है, जिसे राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता घोषित किये जाने का आदेश फरमावे तथा राजकीय रास्ते का नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे। खसरा नम्बर 402/1 रकबा 0.3236 हैक्टेयर में स्थित ए.बी.सी.डी. मार्क के रास्ते को राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे। अप्रार्थी सं. 1 व 2 को पाबन्द किया जावे कि वो प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 402/3 रकबा 0.1618 हैक्टयर में खसरा नंबर 402/1 रकबा 0.3236 में से होकर आने-जाने वाले रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी. पर किसी भी प्रकार की बाधा या अवरोध पैदा नहीं करे तथा न ही अपने एजेन्ट या नौकर आदि से करावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आशय के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता द्वारा वकालतननामा

पेश कर जवाब प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रावर तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नंबर 402/3 रकबा 0.1618 हैक्टयर जरूर आयी हुयी है। ग्राम रावर तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नंबर 402/3 रकबा 0.1618 हेक्टयर प्रार्थी की खातेदारी की आयी हुयी है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि खसरा नंबर 402/3 में पहुचने के लिए खसरा नंबर 402/1 में से कोई रास्ता नहीं निकलता है। प्रार्थी भूमि खसरा नंबर 402/3 में आने जाने के लिए अप्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 402/1 में नया रास्ता कायम करना चाहते है, जबकि प्रार्थी को उनकी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 402/3 में आने जाने का वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। जो वैकल्पिक रास्ता भूमि खसरा नंबर 151 गै.मु. रास्ता के पश्चिमी दिशा की ओर खसरा नंबर 400/4, 400/5 के उतरी दिशा के सहारे सहारे चलकर खसरा नंबर 402/3 में पहुचंता है जो रास्ता अ ब स द है। उपरोक्त वैकल्पिक रास्ता से प्रार्थी का आवागमन कई पीढियों से चला आ रहा है। जो मार्क अ ब स द का नजरी नक्शा जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने प्रार्थी को दिनांक 15.10.2022 को कोई धमकी नहीं दी है। अप्रार्थी सं. 2 गोटन जिला नागौर में रहता है प्रार्थी ने मनघडन्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 402/3 में कृषि कार्य करने हेतु कोई रास्ता खसरा नंबर 402/1 में नहीं आता जाता है तथा न ही खसरा नंबर 562 में कोई रास्ता विद्यमान है। प्रार्थी का यह कथन बिल्कुल गलत है कि खसरा नंबर 562 के पश्चिम दिशा की तरफ माठ के चिपता मार्क ए बी सी डी रास्ता से होकर प्रार्थी का आवागमन है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि खसरा नंबर 402/3 में कृषि कार्य करने के लिये अप्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 402/1 के दक्षिणी दिशा की माठ के सहारे सहारे होकर अप्रार्थी की खातेदारी भूमि नया रास्ता कायम करना चाहता है, जबकि प्रार्थी को उनकी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 402/3 में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, जो रास्ता खसरा नंबर 400/4, 400/5 के उपरी दिशा के सहारे सहारे चलकर खसरा नंबर 400/3 में पहुचंता है जो रास्ता मर्का अ ब स द सबसे निकटतम है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अतिरिक्त कथन किये जो इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट कथन किया कि प्रार्थी भूमि खसरा नंबर 402/1 रकबा 0.3236 हैक्टयर में स्थित मार्क ए बी सी डी रास्ता को घोषित कराना चाहता है, जबकि खसरा नंबर 402/1 कोई कटाणी रास्ता (सरकारी रास्ता) से जुडा हुआ नहीं है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे इस महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअन्दाज किया है एक खेत को दूसरे खेत में पहुचने के लिए एक कटाणी रास्ता (सरकारी रास्ता) होना अनिवार्य है। मौजूदा मामले में खसरा नंबर 402/1 कोई कटाणी रास्ता से जुडा हुआ नहीं होने के कारण तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कटाणी रास्ता से मांग नहीं करने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थी ने मनघडन्त तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी हो हैरान परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है, अतः अप्रार्थी विशेष हर्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र सव्यय हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी सं. 3 तहसीलदार बिलाडा ने विवादित भूमि की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा, नक्शा ट्रेस की प्रति, संबधित खसरो की जमाबन्दी एवं गिरदावरी की प्रमाणित प्रति इस

न्यायालय में पेश की, जिसके अनुसार प्रार्थी अर्जुनराम पुत्र गणेश जाति राईका निवासी रावर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पेश कर खसरा सं. 402/3 हेतु रास्ते की मांग की है। खसरा सं. 402/3 में आने जाने हेतु खसरा सं. 402/1 में से रास्ता चालू है प्रार्थी के आने जाने में कोई समस्या नहीं है। खसरा सं. 402/1 सरकारी रास्ते में जुडा हुआ नहीं है। खसरा सं. 402/1 से चिपकता खसरा 562 गै.मु.अंगोर है जो प्रतिबंधित भूमि है। अतः प्रार्थी का राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 28/2022 खारिज योग्य है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी और योग्य अधिवक्ता प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना खारिज करने का निवेदन किया है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 11.4.2025 में स्पष्ट उल्लेख किया कि प्रार्थी के खसरा नंबर 402/3 में आने जाने हेतु खसरा सं. 402/1 में से रास्ता चालू है प्रार्थी के आने जाने में कोई समस्या नहीं है तथा खसरा सं. 402/1 सरकारी रास्ते से जुडा हुआ नहीं है। तथा जो खसरा सं. 562 गै.मु.अंगोर है वह प्रतिबंधित भूमि है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मौका कमिश्नर रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार किया जाने योग्य प्रतीत होता है।

:- आदेश -:

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भलीभांति साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 01/10/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा